दुनिया के किसी भी कोने से प्रदेश में निवेश के लिए कर सकते हैं आवेदन : भजनलाल

मुख्यमंत्री ने किया एक आर्थिक अखबार के बिजनेस समिट का उद्घाटन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को जयपुर में आयोजित एक आर्थिक अखबार के दो दिवसीय बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद थे।

- 'हर सेक्टर में निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार कर रही सतत काम'
- 'अगले पांच वर्षों में राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार उद्योगपतियों के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा हर सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य को आर्थिक विकास और निवेश के हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा गुरूवार को जयपुर में आयोजित दो दिवसीय एक आर्थिक अखबार के बिजनेस समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समिट के आयोजन से विचारों का आदान-प्रदान कर अवसरों की पहचान की जाएगी तथा नई-नई साझेदारियां बनाई जाएंगी। उन्होंने आशा जताई कि इस दो दिवसीय समिट से प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सकारात्मक सुझाव प्राप्त होंगे जिस पर अमल कर राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार हो सकेगा तथा 2047 तक विकसित भारत-विकसित राजस्थान के विजन को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में एक फिल्म निर्माता ने राजस्थान में फिल्मसिटी की जरूरत के बारे में बताया तो सरकार द्वारा चार घंटों में ही जमीन चिन्हित कर उसके आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। हमारी सरकार महीनों और दिनों में नहीं घंटों में राज्य के विकास के लिए निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उद्यमियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू कर ज्वाइंट वेंचर बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारी सरकार केवल एमओयू साइन करने में ही नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने में विश्वास रखती है।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को लाभदायक माहौल देने के लिए लगातार नई नीतियां बनाई जा रही हैं। राजस्थान औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस नीति, डेटा सेंटर नीति और एमएसएमई नीति इसी दिशा में हमारे ठोस प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी से औद्योगिक विकास को गति मिलती है। पीपीपी मॉडल से बड़ी औद्योगिक परियोजना एवं सुदृढ आधारभूत ढांचे के विजन को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से अब कोई भी निवेशक दुनिया के किसी कोने से प्रदेश में निवेश के लिए आवेदन कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा आर्थिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य में सोना, लौह अयस्क, कच्चा तेल, प्राकृतिक स्टोन, यूरेनियम और लिथियम जैसे खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। साथ ही, राजस्थान मसालों, सुगंधित फसलों एवं मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी हैं। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां से उद्योगपतियों के लिए यहां निवेश करना फायदेमंद साबित होगा।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को अनुकूल वातावरण देने के लिए 9 से 11 दिसम्बर तक 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजन को सफल बनाने और दुनिया भर के उद्यमियों को इससे जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर रोड शो और इन्वेस्टर मीटिंग का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुंबई में आयोजित पहले इन्वेस्टर मीट में निवेशकों का अपार उत्साह देखने को मिला और इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्ट अप इंडिया जैसे अनेक ऐसे कार्यक्रम संचालित किए हैं जिससे देश में औद्योगिक विकास बढ़ा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत 8 माह में उद्योगपतियों के लिए निवेश का अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है।

इस दौरान आयोजकों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दिए। मुख्यमंत्री ने आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों तथा नवाचारों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में इकोनोमिक टाइम्स बिजनेस हैड अमित कुमार गुप्ता, गूगल क्लाउड इंडिया हैड लोकेश लोहिया, सीईओ सीमेंट बिजनेस अडानी ग्रुप अजय कपूर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन संजय स्वरूप ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उद्यमी एवं निवेशक उपस्थित रहे।

तेज बारिश से जयपुर में सड़कें लबालब, देर रात तक ट्रेफिक जाम में फंसे रहे लोग

बारिश के बाद सीकर रोड मुरलीपुरा में केडिया पैलेस रोड पर पानी भर गया।

- मौसम विभाग ने 6 से 9 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी
- टूटी सड़कों और बड़े-बड़े गड्ढ़ों में हिचकोले खाते हुए रेंगते रहे वाहन, कई दुपहिया चालक फिसले

जयपुर। तेज बारिश से गुरूवार शाम जयपुर की सड़कें एक बार फिर लबालब होकर नदी की तरह बही। शाम करीब 5 बजे से देर रात तक कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश का दौर चलता रहा। टूटी सड़कों और उनमें हो रहे बड़े-बड़े खड्ढ़ों में वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। जलभराव के कारण सीकर रोड, कालवाड व निवारू रोड, कलेक्ट्री, पानीपेच, 22 गोदाम, अजमेर पुलिया, जयपुर परकोटे समेत अधिकांश इलाकों में आवाजाही ठप्प हो गयी। ट्रेफिक जाम के कारण देर रात तक सड़कों पर वाहनों का रैला लगा रहा। सड़कों पर भरे बारिश के पानी में कई दुपहिया वाहन चालक फिसलकर भी गिरे।

दरअसल मंगलवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर थम-थमकर जारी है। बुधवार देर रात से गुरूवार अलसुबह तक बारिश हुई। इसके बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में कभी तेज को कभी बूंदाबांदी हुई। शाम करीब 5 बजे बाद आसमां में अचानक बादलों की आवाजाही बढ़ी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हुई। जयपुर परकोटे से लेकर एम.आई.रोड, सीकर रोड, 14 नंबर पुलिया, ढहर के बालाजी और चौमूं पुलिया समेत शहर के तमाम इलाकों की मुख्य सड़कें नदी की तरह बहती नजर आयी। तेज बारिश के कारण वाहनों की आवाजाही भी अवरूद्ध हो गयी और ट्रेफिक जाम के हालात बन गए, जो देर रात तक बने रहे।

वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में 6 से 9 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। देखा जाए तो इस बार मानसून में अब तक 595.23 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य वर्षा से 58.62 प्रतिशत ज्यादा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले चार-पांच दिन तक पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून के सक्रिय रहने तथा कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक 6 व 7 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौडगढ़, डूंगरपुर,झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर और जालोर जिले में भारी बरसात की संभावना है। करौली में 6 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई हैं। पूर्वी राजस्थान में 6 से 10 सितंबर तक कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं जयपुर संभागों में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभागों में 6-7 सितंबर को कुछ स्थानों एवं 8 से 10 सितंबर तक कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के गंगानगर, झुंझुनूं, बीकानेर, चुरु, हनुमानगढ एवं जैसलमेर जिले में 6 व 7 सितंबर को कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो मध्यप्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन में परिवर्तित हो चुका है तथा वर्तमान में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के ऊपर अवस्थित हैं। एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में आगामी 24 घंटे में बनने की संभावना है।

'प्लान बताए जेडीए'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक केन्द्र के भवन में पीआरएन का जोन ऑफिस खोलने को चुनौती देने के मामले में जेडीए से कहा है कि वह इस ऑफिस को शिफ्ट करने का प्लान दें और बताएं कि इसे कहां शिफ्ट किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार को भी कहा है कि वह भी जोन ऑफिस के लिए जेडीए को जगह मुहैया कराए। इसके साथ ही मामले में प्रार्थी पक्ष से भी प्रति जवाब देने के लिए कहा है। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम सुंदर शर्मा व अन्य की पीआईएल पर दिया।

सुनवाई के दौरान जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने बताया कि इस मामले में जेडीए ट्रिब्यूनल में दायर रेफरेंस खारिज हो चुका है।

एक्मे स्कूल, अजमेर के 12वीं के छात्रों को बोर्ड के फार्म भरने पर असमंजस की स्थिति रहीं

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में श्रीनगर पंचायत समिति, चाचियावास, अजमेर में स्थित एक्मे एकेडमी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की मैनेजमेंट समिति ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक व माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर के खिलाफ याचिका दायर की क्योंकि इस स्कूल को माध्यमिक शिक्षा स्तर की घोषित किये जाने के बावजूद शिक्षा बोर्ड द्वारा उसे पोर्टल पर लॉगिन नहीं दिया जा रहा जिससे वह स्कूल में 12वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिये परीक्षा फार्म डाउनलोड कर सके। स्कूल की ओर से अदालत को बताया गया कि स्कूल की ओर से फार्म सबमिट करने की अंतिम तारीख पांच सितम्बर है, इसलिये अदालत बोर्ड को आदेश दे कि वो स्कूल को पोर्टल को लॉगिन करने दें और वे बच्चों के परीक्षा फार्म भर सके। न्यायाधीश सुदेश बंसल की एकलपीठ ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आदेश दिये कि वह तुरंत स्कूल को फार्म भरने की अनुमति दें और वे पोर्टल पर लॉगिन करने की सुविधा भी दें। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वकील अदालत में उपस्थित हैं, इसलिये वह सुनिश्चित करें कि बोर्ड पांच सितम्बर से स्कूल को छात्रों के फार्म अपलोड करने की सुविधा स्कूल को मिले। अदालत ने यह आदेश 4 सितम्बर को दिये थे, परंतु इस आदेश की लिखित कॉपी पांच सितम्बर को ही अपलोड की गई थी।

- अदालत ने बोर्ड के वकील को 4 सितम्बर को कहा था कि वह सुनिश्चित करें कि पांच सितम्बर को स्कूल की समिति को छात्रों के बोर्ड के फार्म अपलोड करने के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पोर्टल का पासवर्ड प्रदान करें, जबकि आदेश एक दिन बाद अपलोड हुआ
- उल्लेखनीय है कि पांच सितम्बर को बोर्ड फार्म अपलोड करने की अंतिम तिथि निर्धारित थी

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील समदड़िया अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल संस्थान को अकादमिक सत्र 2024-25 में 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने की अनुमति मिली थी, परंतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12 अप्रेल 2024 को उनके द्वारा दी गई यह अनुमति को वापस ले लिया था। इसके बाद उनके मुवक्किल ने 12 अप्रेल के इस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी और 12 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वीकृति वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। समदड़िया ने अदालत को बताया कि अंतरिम रोक लगाने के बाद भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल को लॉगिन पासवर्ड नहीं दिया है जिससे वे बच्चों के फार्म भर सकें। हाईकोर्ट ने ना केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्कूल के बच्चों के फार्म भरने की अनुमति दी है बल्कि कहा है कि बोर्ड अदालती आदेशों की पालना करवाये। अदालत ने बोर्ड के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के मामले और स्कूल को फार्म अपलोड करने के लिये दायर रिट याचिका को साथ में सुनने के आदेश भी दिये।

भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने गुरूवार को उज्जैन (मध्यप्रदेश) में श्री बाबा महाकाल के दर्शन कर प्रदेश एवं देश के कल्याण और उन्नति की कामना की।

अजमेर में 1992 के सामूहिक बलात्कार कांड के विरोध में सर्व हिन्दू समाज का धरना

जयपुर। अजमेर में 1992 के सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग कांड के विरोध में सर्व हिन्दू समाज की ओर से सोडाला चौराहे पर गुरुवार शाम को सामूहिक धरना दिया गया।

हिन्दू जागरण मंच के सतीश अग्रवाल ने कहा कि इस बलात्कार कांड में अजमेर दरगाह के खादिम चिस्ती परिवार के बच्चे तथा कांग्रेस के दो बड़े नेता इस में सीधे-सीधे शामिल थे। उसकी वजह से यह सारे बलात्कार कांड में जांच और पूरी गिरफ्तारियां नहीं हुई इस कांड के अंदर उस वक्त 300 से ज्यादा हिंदू लड़कियां के साथ बलात्कार हुआ और उनको ब्लैकमेल किया गया उनके माध्यम से एक से दूसरी लड़कियों को कड़ी करके बुलाया गया और बाद में उनमें से कई लड़कियां पागलपन का शिकार हो गई, 32 साल बाद भी जब न्याय की बात आई तो कुछ दो-चार लोगों को सिर्फ आजीवन कारावास की सजा दी गई है, जबकी अन्य आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं।

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मपत्नी **श्रीमती हेमलता शर्मा** का स्वर्गवास दिनांक 04.09.2024 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.09.2024 (शुक्रवार) को 3:00 से 4:00 बजे हीरा गार्डन, मान बाग, जयसिंहपुरा खौर पर होगी।

शोकाकुल- जगदीश, हनुमान, रामजीलाल (ससुर), सत्यनारायण (पति), अशोक, मनीष, गोविन्द (देवर), नितेश, अमन, तनिष्क, कनिष्क, केशव (पुत्र) एवं समस्त कडारोल्या जोशी परिवार भली वाले। 9001090376, 9672211333, 9828361216

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री गंगा सहाय जी शर्मा** (भू.पू. सरपंच) का स्वर्गवास दिनांक 04.09. 2024 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार दिनांक 06.09.2024 को दोपहर 2:00 से 4:00 बजे ग्राम चतराला, सीतापुरा, सांगानेर, जयपुर पर रखी गई है।

शोकाकुल- सीताराम जी, गोदूराम जी, छाजूराम जी, बाबूलाल जी, रमेश जी (पुत्र), राजेन्द्र, हनुमान, शंकर, कमलेश, रवि, सागर, शुभम, संजय (पुत्र) एवं समस्त तुन्दवाल पंचौली परिवार। 9828566872

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जवाहर कला केंद्र में 6-8 सितंबर तक होगा 'सुर-ताल'

- संगीत, नृत्य उत्सव और फ़ोटोग्राफ़ी से सजेगा जेकेके
- हवेली संगीत, कोरियोग्राफ्ड नृत्य, शास्त्रीय गायन, ओडिसी नृत्य, ग़ज़ल गायन से सराबोर होंगे जयपुरवासी

जयपुर। जवाहर कला केंद्र में शुक्रवार से तीन दिनों तक हवेली संगीत, कोरियोग्राफ्ड नृत्य, शास्त्रीय गायन, ओडिसी नृत्य और गजल गायन से जहां एक ओर सुरों की महफिल सजेगी तो वहीं दूसरी ओर नृत्य की ताल दर्शकों को रोमांचित करेगी।

मौका है डेल्फिक काउंसिल ऑफ़ राजस्थान, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के संयुक्त तत्वाधान में एवं जवाहर कला केंद्र के सहयोग से 6 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय उत्सव सुर ताल का। जवाहर कला केंद्र के रंगायन और कृष्णायन में आयोजित होने वाले इस उत्सव की शुरुआत शुक्रवार, 6 सितंबर को प्रातः 10.30 बजे कृष्णायन सभागार में होगी।

डेल्फिक काउंसिल ऑफ़ राजस्थान की अध्यक्ष श्रेया गुहा ने बताया कि सुरताल उत्सव में तीन दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी जिसमें मुंबई के प्रसिद्ध फोटोग्राफर शिरीष कर्राले फोटोग्राफी के गुर सिखाएंगे। फोटोग्राफी कार्यशाला में अभ्यास आधारित प्रैक्टिकल सेशन होंगे और प्रतिभागी फोटोग्राफी के नए-नए पहलू सीखेंगे।

गुहा ने बताया कि सुर ताल उत्सव के पहले दिन (6 सितंबर) शाम 6.30 बजे आचार्य स्वामी गुरु रणछोडलाल के हवेली संगीत से कार्यक्रम आरंभ होगा। उसके बाद दिल्ली के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर संतोष नायर के 30 सदस्यीय दल द्वारा विभिन्न नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी। उत्सव के दूसरे दिन 7 सितंबर को जयपुर के ही शास्त्रीय गायक सौरव वशिष्ट की प्रस्तुति होगी। उसके बाद उदयपुर के ओडिसी गुरु कृष्णेनेंदु साहा के दल द्वारा ओडिसी नृत्य की कलात्मक प्रस्तुति होगी।

सुर ताल के अंतिम दिवस 8 सितंबर को ग़ज़ल की प्रस्तुति होगी। जिसमें डॉ प्रेम भंडारी, डॉ देवेंद्र हिरण व डॉ पामिल मोदी द्वारा ग़ज़लों की प्रस्तुति दी जाएगी। डॉ प्रेम भंडारी कवि और शायर होने के साथ साथ संगीत निर्देशक भी हैं। रंगायन में कार्यक्रम का समय शाम 6.30 रहेगा तथा प्रवेश निःशुल्क होगा।

पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने प्रेम संबंधों में आड़े आ रहे पति की गला घोटकर हत्या करने वाली उसकी पत्नी मंजू ओझा और प्रेमी बीरेष ओझा उर्फ सोनी ओझा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी बीएल चंदेल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त मृतक की पत्नी है और दूसरा अभियुक्त उसका पड़ोसी है। दोनों अभियुक्तों ने अपने संबंधों के चलते उसकी हत्या की है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने अदालत को बताया कि 27 अप्रैल, 2021 को राजकुमार ने कालवाड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसका छोटा भाई राकेश अपनी पत्नी मंजू व तीन संतानों के साथ तीजा नगर में रहता है। उसके पास 21 अप्रैल की सुबह चचेरे भाई का फोन आया कि राकेश को कुछ हो गया है। जब वह वहां पहुंचा तो राकेश की लाश फर्श पर पड़ी थी और गले में फांसी के निशान थे। उसकी पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि रात को राकेश ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त -प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-3784 दिनांक-5.9.2024
जाहिर आम सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 51/468 (MIG-A) (एरिया 93,000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री उत्तम शरण सक्सैना पुत्र श्री मंगलीप्रसाद सक्सैना को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 3886 दिनांक 3.11.1992 को जारी किया गया। श्री उत्तम शरण सक्सैना के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 09.6.2008 को उप पंजीयक सांगानेर -प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री उत्तम सरन सक्सैना की मृत्यु दिनांक 22.8.2023 को हो जाने के कारण पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर इनके पुत्र श्री अनुज सक्सैना पुत्र स्व. श्री उत्तम शरण सक्सैना द्वारा उक्त आवंटन को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति /पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री अनुज सक्सैना पुत्र स्व. श्री उत्तम शरण सक्सैना का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, राज.आवा.मण्डल, वृत्त-प्रथम, जयपुर

विवेकानन्द आदर्श वरिष्ठोपाध्याय संस्कृत विद्यापीठ
चौंप, तह. आमेर, जयपुर, राजस्थान- 303805
(CSU नई दिल्ली द्वारा तात्कालिक रूप से अनुदान प्राप्त)
आवश्यकता:
अध्यापक- संस्कृत- 01,
आधुनिक- 01 (विज्ञान, गणित) संयुक्त- (02)
योग्यता- न्युनतम 25 वर्ष, अनुभव- 1 वर्ष का आचार्य- शिक्षा शास्त्री, शिक्षा शास्त्री (संस्कृत विषय)- M.A.B.Ed./ M.Sc.B.Ed./ B.Sc.B.Ed, M.A. (आचार्य व B.Ed.) संस्कृत को प्राथमिकता दी जावेगी।
मासिक वेतन- 20,000/- प्रतिमाह।
अध्यापकों की तात्कालिक सेवाये CSU नई दिल्ली के नियमानुसार होंगी। अभ्यर्थी अपने सभी अभिलेखों एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रार्थना-पत्र सचिव विवेकानन्द आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, ग्राम- चौंप, तहसील- आमेर, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303805 के नाम से डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर देवें। अन्तिम दिनांक 20.09.24 तक समिति कार्यालय में जमा करें। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन- पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
सम्पर्क सूत्र- 9214803366
सचिव: विवेकानन्द आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, ग्राम- चौंप, तहसील- आमेर, जिला- जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सुचित किया जाता है, कि इसफाक अली पुत्र जमरुद्दीन निवासी तारा नगर चुरू राजस्थान ने श्री मांगीलाल शर्मा पुत्र श्री तुलसीराम निवासी राजगढ़ चुरू राजस्थान से प्लाट नम्बर 124 कुल क्षेत्रफल 58.33 वर्गगज (48.76) वर्गमीटर स्थित बरकत कॉलोनी, मोतीलाल अटल रोड जयपुर खरीदने का प्रथम इकरार दिनांक 20.12.2023 एवं द्वितीय 20.05.2024 को लिखा जाकर 21.05.2024 को निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करा दिया के द्वारा खरीदना तैय किया गया है। अग्रिम पेटे नकद चैक से कुल पच्चीस लाख श्री मांगीलाल शर्मा को अदा कर दिया है। अभी तक श्री मांगीलाल शर्मा ने उक्त प्लाट नम्बर 124 का पटटा नही बनवाया है। शेष विक्रय प्रतिफल अदा करना है। किसी को उक्त खरीद मे आपत्ती हो तो तीन दिन मे बताये। अन्यथ आपत्ती मान्य नही होगी।
जयपुर (फैजान हुसैन) एडवोकेट
दिनांक 05-09-2024 मो.नं-8824515124

आम सूचना सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि कामरान अली पुत्र स्व. श्री मुनव्वर अली एवं जमील मोहम्मद उर्फ जमील अहमद पुत्र श्री नूर मोहम्मद के मध्य निष्पादित इकरारनामा दिनांकित 24.07.2024/26.07.2024 पक्षकारान ने दिनांक 16.08.2024 को रद्द कर दिया है। समस्त अग्रिम राशी कामरान अली ने श्री जमील मोहम्मद उर्फ जमील अहमद को वापस लौटा दी है। कामरान अली दुकान नम्बर 127 मय बैसमेन्ट एवं मैज नाईन फ्लोर तथा दुकान नम्बर 128 का पूर्वी हिस्सा मय वनी तामीरात कुल क्षेत्रफल 37 वर्गगज (30.89 वर्गमीटर) स्थित मनिहारो का रास्ता, चौकड़ी मोदीखाना जयपुर समस्त हक अधिकारो सहित अन्य को विक्रय करने के लिए स्वतन्त्र है।
जयपुर (फैजान हुसैन) एडवोकेट
दिनांक 05-09-2024 मो.नं-8824515124

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती शायदा पत्नी सिराजुद्दीन आयु 67 वर्ष निवासी-3672, रामचन्द्र जी की चौकड़ी के पास, हाण्डीपुरा, जयपुर का पुत्र सलमान आयु 33 वर्ष उनके कहे में नहीं है और पिछले कुछ समय से अपनी मर्जी मुताबिक अपनी जिंदगी जी रहा है और वह गलत लोगों की संगत में है तथा मेरी मुवक्किला का पुत्र आए दिन मेरी मुवक्किला के साथ बदसलूकी व झगड़ा करता है जिस कारण मेरी मुवक्किला ने अपने उक्त पुत्र सलमान को अपनी समस्त चल-अचल सम्पति से एवं अपने परिवार से बेदखल कर दिया है जो कोई व्यक्ति सलमान से किसी भी तरह का सनव्यवहार करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा कृपया सूचित रहे।
दिनांक-04/09/2024 शमीम कुरैशी, एडवोकेट मो.नं-9829598401

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर सार्वजनिक सूचना
पृथ्वीराज नगर (उत्तर) कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर
क्रमांक : जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2024/डी-678 दिनांक : 04.09.2024
श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना-रामनाथपुरी, के भूखण्ड संख्या 49 (क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज) के नाम हस्तान्तरण/फ्री-होल्ड लीजडीड हेतु श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री बाबूलाल कुमावत ने आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदिका के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/फ्री-होल्ड लीजडीड कर दी जावेगी।
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-।।, जविप्रा, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया सहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय पारिवारिक न्यायालय क्रम 1 स्थान जयपुर श्रीमती अनिता शर्मा विरूद्ध बालकिशन तिवाड़ी
वाद/प्रार्थना पत्र 13 हिन्दू विवाह अधि. 1955
प्रार्थना-पत्र संख्या 934/2023 सन
नाम बालकिशन तिवाड़ी पुत्र श्री राधेश्याम तिवाड़ी जाति ब्राह्मण पता प्लाट न. 16-17, इन्द्रा वर्मा कालोनी, तिवाडियों का घर, शास्त्रीनगर, जयपुर हालकार्यरत जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, परिवहन विभाग, सिरोही, हाल निवासी 65, के.बी. हवेली लिबास रोड, जयपुर श्रीमती अनिता शर्मा ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 18 माह 09 सन् 2024 को 10 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 01 माह 08 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-
मोहर अदालत मुंसरिम पारिवारिक न्यायालय जयपुर महानगर जयपुर

नाम परिवर्तन

मेरा नाम PANCARD, Aadhar Card और Passport में RAKESH KUMAR AHUJA है और मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम RAKESH KUMAR है। ये दोनों नाम मेरे स्वयं के ही है। भविष्य में मुझे RAKESH KUMAR AHUJA के नाम से जाना, पहचाना और पुकारा जायें।

मैंने मेरा नाम सोहराब खान (Sohrab Khan) पुत्र शमशेर खान से बदलकर शोहराब खान (Shohrab Khan) रख लिया है। भविष्य में मुझे शोहराब खान (Shohrab Khan) के नाम से जाना जावे। पता-556, पठानों का चौक, ब्रह्मपुरी, जयपुर

मैंने अपना नाम नरेंद्र बलाई से बदलकर नरेंद्र खंडेलवाल पुत्र कन्हैया लाल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। पताः- ग्राम- कुंदनपुरा, पोस्ट- पहाड़िया, तहसील- माधोराजपुरा, जिला- जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 1822/21
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।
प्रार्थी-नाम अभिषेक शर्मा पुत्री स्व. श्री सुशील कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण
विवाद स्थान ए-31, महेश नगर, 80 फीट रोड, जयपुर मृतक बृजेश शर्मा, सुशील कुमार की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक - 30-09-2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम 1. सुशील कुमार शर्मा S/o स्व. श्री शिवशंकर शर्मा जाति ब्रह्माण 2. बृजेश शर्मा W/o स्व. श्री सुशील कुमार शर्मा जाति ब्रह्माण निवासी ए-31, महेश नगर, 80 फुट रोड, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 30 माह 09 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 02 माह 09 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतक सुशील कुमार शर्मा एवं मृतका बृजेश शर्मा, के बैंक खाते की राशि व सहारा कॉपरेटिव सोसायटी की पोलिसी की राशि व सामान बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहता है।
आज्ञा न्यायालय से
(मुहर) वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम